



राजस्थान आवासन मण्डल

(राजस्थान अधिनियम संख्या 4, 1970 के अन्तर्गत)

स्ववित्त पोषित योजना-वर्ष 2012 (II)

इंदिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर में
मध्यम आय वर्ग-ब (स्टील्ट+9) के फ्लैटों हेतु
(पूर्व पंजीकृत आवेदकों के साथ नये आवेदकों हेतु)



दिनांक 14.12.2012
से 21.1.2013



श्री परसराम मोरदिया
माननीय अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल



श्री अशोक गहलोत
माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान



श्री शान्ति घारीवाल
माननीय नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री

"मण्डल का है यह सपना, सुंदर घर हो सबका अपना"

आवासन मण्डल की योजनाओं के अन्तर्गत मकान प्राप्ति से विशेष लाभ

1. मण्डल द्वारा निर्मित मकान खरीदने का निर्णय लेते ही आपके धन, समय व श्रम की बचत होती है और मकान बनाने के लिये आपको अलग से भूखण्ड खरीदने तथा उपकरण जुटाने की परेशानी में पड़ने की आवश्यकता नहीं होती।
2. मकान के लिये एक साथ पैसा जुटाने की आवश्यकता नहीं होगी। मण्डल के मकान के लिये आप निर्धारित किश्त देते रहे तो भी कुछ ही वर्षों में मकान आपका हो जायेगा।
3. मण्डल द्वारा निर्मित मकानों का डिजाइन अनुभवी अभियन्ताओं/वास्तुकार द्वारा बनाया जाता है जिससे मकान में न केवल समस्त आवश्यक सुविधाये उपलब्ध होती है बल्कि स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण में रहने का लाभ भी प्राप्त होता है।
4. मण्डल का मकान खरीदने का अर्थ होगा, सही तर्क संगत मूल्य में वैज्ञानिक ढंग से विकसित कालोनी में उद्यान, स्कूल, दुकानें, यातायात सुविधाओं से युक्त साफ स्वस्थ और आकर्षक पर्यावरण का आवास।
5. मण्डल बिना लाभ-हानि के सिद्धान्त पर चलता है तथा बड़े पैमाने पर भवन निर्माण का कार्य करता है। अतः निर्विवाद रूप से मंडल के मकान सस्ते पड़ते हैं।



राजस्थान आवासन मण्डल

स्ववित्त पोषित योजना, वर्ष 2012 (II)

सेक्टर-8, इंदिरा गांधी नगर, जगतपुरा, (जयपुर) में
आवेदन पत्र की बिक्री/प्राप्ति व वरीयता निर्धारण हेतु

कार्यक्रम

1. आवेदन-पत्र बिक्री की प्रारम्भ तिथि : 14.12.2012
2. आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 21.1.2013
3. योग्य आवेदकों की वरीयता निर्धारण हेतु अस्थाई सूची का प्रकाशन की तिथि एवं स्थान : 18.2.2013, 4.00PM
कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त-तृतीय, जयपुर एवं मंडल की वेबसाइट पर
4. अस्थाई सूची पर आक्षेप प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि : 25.2.2013, 5.00PM
5. वरीयता निर्धारण हेतु योग्य आवेदकों की स्थाई सूची के प्रकाशन की तिथि एवं स्थान : 4.3.2013, 4.00PM
कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त-तृतीय, जयपुर एवं मंडल की वेबसाइट पर
6. वरीयता निर्धारण हेतु लॉटरी आयोजन की तिथि एवं स्थान : 11.3.2013, 11.00AM
कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त-तृतीय, जयपुर एवं मंडल की वेबसाइट पर

कृपया फार्म जहाँ जमा कराये
एच डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड
शॉप नं. 1-2, सन टॉवर,
एच डी. 158 ए. बापु नगर गौंधी नगर मोड़,
जयपुर टेलिफोन 0141-5131126

सम्पर्क सूत्र

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक राजस्थान आवासन मण्डल, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर फोन : 0141 - 2740667	उप आवासन आयुक्त, वृत्त-तृतीय राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर फोन : 0141 - 2723844	आवासीय अभियन्ता, खण्ड-ग्यारह, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर मो : 9983349404
---	---	---

आवेदन पत्र कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त-तृतीय, जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल जयपुर एवं निम्न बैंकों से राशि रुपये 200/- भुगतान कर प्राप्त करें एवं पूर्ण कर इन बैंकों में निर्धारित तिथि तक जमा करवाये जा सकते हैं :-

1. सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया, राज. आवा. मण्डल, ज्योति नगर, जयपुर
फोन नं. 0141-2744735
2. एक्सिस बैंक, गिरधर मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर। फोन नं. 0141-4013690
3. आई.सी.आई.सी.आई बैंक, जनता कॉलोनी, जयपुर। फोन नं. 0141-4182401
4. यदि आवेदन फार्म मण्डल की **website - www.rhonline.com** से download करके प्रस्तुत किया जाता है। तो पंजीकरण राशि के साथ फार्म की कीमत के 200/- पंजीकरण राशि की DD/Pay Order में शामिल कर आवेदन पत्र के साथ जमा करवानी होगी।

ध्यान देने योग्य आवश्यक बिन्दु:-

1. आपके द्वारा जिस आय वर्ग के लिए आवेदन किया जा रहा है, उसके अनुसार पंजीकरण की पूर्ण राशि का बैंक ड्राफ्ट जो कि "राजस्थान आवासन मण्डल" के पक्ष में जयपुर स्थिति किसी भी बैंक में देय हो, आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दिया गया है। बैंक ड्राफ्ट तथा चालान की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दी गई है।
2. आय का प्रमाण-पत्र संलग्न कर दिया है।
3. आवेदन-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये हैं एवं सत्यापित करा दिये गये हैं।
4. आवेदन-पत्र पर लगाये गये फोटो राजपत्रित/ नोटेरी पब्लिक के द्वारा सत्यापित करा ली गई है।
5. सम्बन्धित प्रमाण-पत्र संलग्न कर दिये गये हैं।
6. चैक लिस्ट एवं आवेदन पत्र परीक्षण सूची आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दी गई है।
7. प्रत्येक की पहचान के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाईसेंस, पेन कार्ड, नियोक्ता का पहचान पत्र इत्यादि की प्रति लगा दी गई है।
8. कोई अन्य सूचना, जो प्रपत्र में मांगी गई है, भर दी गई है।



राजस्थान आवासन मण्डल

स्ववित्त पोषित योजना, वर्ष 2012 (II)

सेक्टर-8, इंदिरा गांधी नगर, जगतपुरा, (जयपुर) में
मध्यम आय वर्ग-‘ब’ (स्टील्ट+9) के फ्लैटों हेतु
(पूर्व पंजीकृत आवेदकों के साथ नये आवेदकों हेतु)

मण्डल द्वारा निर्मित फ्लैटों के लिये पंजीकरण हेतु सामान्य निबंधन एवं शर्तें

राजस्थान आवासन मण्डल का गठन राज्य सरकार द्वारा अधिनियम संख्या 4/1970 के अन्तर्गत वर्ष 1970 में राज्य में मकानों की कमी पूर्ति हेतु किया गया था। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मण्डल वैज्ञानिक ढंग से कॉलोनियों का निर्माण कर स्वच्छ, स्वस्थ एवं उत्कृष्ट पर्यावरण में सभी आय वर्गों के लिए मकान उपलब्ध कराने के लिये कार्यरत है। मण्डल द्वारा सदैव यह प्रयास रहा है कि ऐसे मकान बनाये जो हवादार हो व जिनमें पानी, बिजली जैसी समस्त मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी गई हो। मण्डल का यह भी प्रयास रहा है कि फ्लैटों की कीमत तर्कसंगत हो एवं सम्बन्धित आवेदक की भुगतान क्षमता में हो।

स्ववित्त पोषित योजना, वर्ष 2012 (द्वितीय) का विवरण

जयपुर शहर की आवास समस्या के निराकरण हेतु राजस्थान आवासन मण्डल ने समय-समय पर विभिन्न आवासीय योजनाएं यथा जवाहर नगर, ज्योति नगर, मानसरोवर, प्रताप नगर व इंदिरा गांधी नगर जयपुर की सफलता के बाद इंदिरा गांधी नगर में मध्यम आय वर्ग ‘ब’ के फ्लैट्स (स्टील्ट+9) हेतु पंजीकरण योजना निम्नानुसार प्रारम्भ करने जा रहा है :-

मध्यम आय वर्ग ‘ब’ (स्टील्ट+9), सेक्टर-8 (360 आवास),
इंदिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर।

क्र. सं.	आय वर्ग	अनुमानित संख्या	निर्मित क्षेत्रफल (वर्गफीट में)	अनु. लागत (रु. लाख में)
1.	मध्यम आय वर्ग ब (स्टील्ट+9)	360	1451.16	29.60 ✓

- नोट : (i) आवासों की अनुमानित संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।
- (ii) पार्किंग चार्ज मण्डल नियमानुसार अलग से देय होंगे।
- (iii) उक्त तालिका में आवासों के केवल अनुमानित लागत बताई जा रही है। चूँकि मण्डल आवासों का आवंटन "बिना लाभ हानि सिद्धांत" के आधार पर करता है। अतः मण्डल द्वारा आवास की अन्तिम रूप से निर्धारित लागत ही मान्य होगी व इस हेतु आवंटी का कोई आक्षेप / विवाद मान्य नहीं होगा।

आवासीय योजना की विशेषताएँ :-

आवासीय योजना मालवीय नगर योजना व खातीपुरा रेल्वे स्टेशन के मध्य एवं रेलवे कॉलोनी, जगतपुरा, जयपुर के समीप स्थित है। इस योजना की प्रमुख स्थलों से लगभग दूरी निम्नानुसार है :-

1. मालवीय नगर	5.0 कि.मी.
2. जगतपुरा रेलवे स्टेशन	4.0 कि.मी.
3. जवाहर सर्किल	7.0 कि.मी.

पंजीकरण की पात्रता एवं शर्तें :-

फ्लैटों का आवंटन राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के अन्तर्गत तथा इस संबंध में समय-समय पर जारी नियमों, उपनियमों, परिपत्रों एवं अनुबंधों के अनुसार किया जावेगा।

1. राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किसी भी वयस्क भारतीय नागरिक, जिसकी आवेदन भरने की तिथि को आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये, को आवासन मण्डल द्वारा आवेदित शहर में फ्लैट का आवंटन किया जा सकता है। यदि किसी आवेदक को आवासन मण्डल द्वारा आवेदित शहर में किसी भी पद्धति यथा सामान्य/विशिष्ट पंजीकरण, स्ववित्त पोषित योजना, खुली बिक्री अथवा नीलामी द्वारा पूर्व में आवास/फ्लैट आवंटन हो चुका है, तो वह इस योजना में फ्लैट आवंटन का पात्र नहीं होगा।
2. इस योजना में राजस्थान आवासन मण्डल सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के प्रावधान के अनुसार पति अथवा पत्नी एवं आश्रितों में से कोई एक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अथवा संयुक्त रूप से एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा।
3. आवेदक स्वयं का अथवा आवेदक की पत्नी/पति या आवेदक पर आश्रित संबंधी के पास आवेदित शहर में फ्री होल्ड अथवा लीज होल्ड किसी भी प्रकार एवं आकार का पूर्ण या आंशिक आवास/भूखण्ड नहीं होना चाहिए।
- 4.(अ) आवेदक के पास आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी स्थायी खाता संख्या PAN होना चाहिए एवं आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। (जहां लागू हो)
- (ब) आवेदक के पास भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र "आधार कार्ड" (यू.आई.डी.) के नम्बर है तो आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उल्लेखित किये जाने चाहिए। (यदि प्राप्त कर लिये हो)

5. प्रस्तावित योजना में किसी संस्था/कम्पनी के नाम से भरा गया आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
6. सामान्य पंजीकरण योजना के अर्न्तगत पूर्व पंजीकृत आवेदक जिसे मण्डल द्वारा आवेदन की तिथि तक आवास/फ्लैट का आवंटन नहीं किया गया है उसे इस योजना में आवेदन करने पर उसकी पूर्व निर्धारित वरीयता के आधार पर फ्लैट आवंटन में निम्नानुसार प्राथमिकता दी जायेगी:—

- इन्दिरा गांधी नगर योजना जयपुर — प्रथम वरीयता
- मानसरोवर योजना जयपुर — द्वितीय वरीयता
- प्रताप नगर योजना, सांगानेर, जयपुर — तृतीय वरीयता
- नवीन पंजीकरण — चतुर्थ वरीयता

इस बाबत आवेदक अपने पूर्व पंजीकरण एवं वरीयता क्रमांक का उल्लेख आवेदन फार्म में करेगा तथा शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि उसका पूर्व पंजीकरण निरस्त नहीं किया गया है तथा न ही आवासन मण्डल द्वारा उसे कोई आवास/ फ्लैट आवंटित किया गया है।

7. मण्डल द्वारा फ्लैटों के आवंटन में आरक्षित कोटे का प्रावधान निम्नांकित श्रेणियों/वर्गों के लिए उनके समक्ष अंकित प्रतिशत के अनुसार होगा:—

क्र. सं.	आवेदक की श्रेणी	MIG-B वर्ग के लिए	प्रतिशत के अनुसार आवास
1	वैतनिक श्रेणी—प्रथम (केन्द्र सरकार के कर्मचारी तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के बोर्ड/निगम के कर्मचारी/प्राइवेट सैक्टर में कार्यरत कर्मचारी) वैतनिक श्रेणी—द्वितीय (राज्य सरकार के कर्मचारी, अधिकारी)	18 प्रतिशत 10 प्रतिशत	64 36
2	सामान्य श्रेणी प्रोफेशनल्स श्रेणी (एडवोकेट, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एवं प्राइवेट डाक्टर्स)	29 प्रतिशत 5 प्रतिशत	103 18
3	मण्डल कार्मिक (बोर्ड कर्मचारी)	1 प्रतिशत	4
4	अनुसूचित जाति	16 प्रतिशत	58
5	अनुसूचित जन जाति	12 प्रतिशत	43
6	वर्तमान एवं भूतपूर्व विधायक/सांसद/अधिस्वीकृत पत्रकार	1.5 प्रतिशत	5
7	स्वतन्त्रता सेनानी	0.5 प्रतिशत	2
8	भू. सैनिक एवं सैनिकों की विधवाएं	3 प्रतिशत	11
9	विकलांग (अंधता/शारीरिक/मूक बधिर)	1 प्रतिशत, 1 प्रतिशत, 1 प्रतिशत	4 4 4
10	वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिक/ ऐशियाड / ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी	1 प्रतिशत	4
	योग	100 प्रतिशत	360

नोट:- 1. उपरोक्तानुसार किसी भी आरक्षित वर्ग में योग्य आवेदक फ्लैट आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में शेष आरक्षित फ्लैट सामान्य श्रेणी के आवेदकों को आवंटित किये जायेंगे।

2. श्रेणीवार आरक्षित कोटा निर्धारण हेतु आवश्यक प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्र अनिवार्य है अन्यथा आवेदक का पंजीकरण अवैतनिक श्रेणी प्रथम में मान लिया जायेगा।

8. "आरक्षित श्रेणियों अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से विकलांग/युद्ध में शहीद हुए सैनिक की विधवाओं/भूतपूर्व सैनिक/विधायक/सांसद/अधिस्वीकृत पत्रकार/स्वतंत्रता सैनानी/शौर्य पुरस्कार प्राप्त सैनिक/ ऐशियाड/ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी आदि के द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति के साथ शपथ-पत्र नवीनतम फोटो के साथ प्रस्तुत करना होगा।
9. इस योजना में निर्धारित आय वर्ग से दो आय वर्ग ऊपर अथवा दो आय वर्ग नीचे के आवेदक भी मण्डल नियमानुसार आवेदन कर सकेंगे। इस स्थिति में वरीयता निर्धारण हेतु मूल आय वर्ग के आवेदक को प्रथम वरीयता तथा मूल आय वर्ग से ऊपर के आय वर्ग के आवेदकों को द्वितीय वरीयता तथा मूल आय वर्ग से नीचे के आय वर्ग के आवेदक को तृतीय वरीयता दी जाएगी। वरीयता वर्षवार/श्रेणीवार निर्धारित की जाएगी।
10. यदि वर्तमान एवं कालान्तर में आवेदक के द्वारा दिये गये दस्तावेज/सूचनाएँ गलत, झूठी अथवा असत्य पाई जाती है तो उस आवेदक का पंजीकरण/आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताओं नोटिस जारी किये निरस्त कर दी जावेगी तथा मण्डल के प्रचलित नियमों अनुसार कटौती करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी।
11. इस योजना में तालिका-1 में दर्शाई गई फ्लैट की अनुमानित लागत की लगभग 10 प्रतिशत पंजीकरण राशि निम्नानुसार आवेदन पत्र के साथ देय है। जिसका विवरण निम्नांकित सारणी के अनुसार हैं :-

तालिका-3

क्र.सं.	आवेदक का आय वर्ग	वार्षिक आय (रुपये में)	पंजीकरण राशि
1	मध्यम आय वर्ग(ब)	4,50,001 / - से 6,00,000 / - तक	2,96,000 / -

- अ. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक उपरोक्तानुसार निर्धारित पंजीकरण राशि की आधी राशि जमा करा सकते हैं।
- ब. वर्तमान में सेवारत थल सेना, नौ सेना, वायुसेना के सैनिक एवं भूतपूर्व सैनिक एवं इनकी वीरांगनाएँ निर्धारित पंजीकरण राशि का 1/10 भाग ही जमा करा सकते हैं।

नोट: यदि आवेदन पत्र मण्डल की [website www.rhbonline.rajasthan.gov.in](http://www.rhbonline.rajasthan.gov.in) से download करके आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो पंजीकरण राशि के साथ फार्म की कीमत रुपये 200/- पंजीकरण राशि की DD/Pay Order में शामिल कर आवेदन पत्र के साथ जमा करवानी होगी।

12. आवेदकों की आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की संगणना आवेदक की कुल वार्षिक आय में पति/पत्नी तथा आश्रितों की कुल वार्षिक आय को सम्मिलित कर की जावेगी। कुल आय में निम्नांकित स्रोतों से हुई आय सम्मिलित होगी:-

(अ) स्वयं के लिए -

1. वेतन
2. विशेष वेतन
3. मंहगाई भत्ता तथा अतिरिक्त मंहगाई भत्ता
4. शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता
5. गृह/सम्पत्ति/व्यापार से आय
6. विनियोग से ब्याज
7. कोई अन्य आय जो आयकर के प्रयोजनों हेतु आय के रूप में हो।

(ब) आवेदक की पत्नी/पति की आय उपरोक्तानुसार।

(स) आवेदक के आश्रित की आय उपरोक्तानुसार।

13. यदि आवेदक का पंजीकरण आवेदन पत्र में किसी कमी के कारण से मण्डल द्वारा स्वीकार योग्य नहीं है तो आवेदक की जमा राशि में से प्रशासनिक व्यय के विरुद्ध 5 प्रतिशत राशि की कटौती करते हुए शेष राशि रेखांकित चैक से रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आवेदन पत्र में अंकित पते पर लौटा दी जायेगी। इस अवधि का मण्डल द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।
14. इस योजना में कुल प्राप्त आवेदन पत्रों में से वर्गानुसार उपलब्ध फ्लैटों की संख्या के बराबर सफल आवेदकों की लॉटरी द्वारा वरीयता निर्धारित कर दी जायेगी। लॉटरी के पश्चात् शेष असफल रहे आवेदकों को उनकी जमा पंजीकरण राशि का रिफण्ड (बिना ब्याज) रेखांकित चैक से उनके आवेदन पत्र में अंकित पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेज दिया जायेगा।
15. स्ववित्त पोषित योजना के पंजीकृत आवेदकों से निर्माण कार्य आदेश जारी करने के पश्चात् आरक्षण पत्र जारी करते हुए अनुमानित लागत की निम्नानुसार राशि प्राप्त की जायेगी :-

तालिका-4

क्र. सं.	फलैटों का प्रकार	किश्त	आरक्षण पत्र में प्राप्त की जाने वाली राशि	
			समयावधि	राशि
1.	मध्यम आय वर्ग ब (स्टील्ट +9)	प्रथम किश्त	1 माह	15.0 %
		द्वितीय किश्त	4 माह	15.0 %
		तृतीय किश्त	7 माह	15.0 %
		चतुर्थ किश्त	10 माह	15.0 %
		पंचम किश्त	13 माह	10.0 %
		षष्ठम् किश्त	16 माह	10.0 %
		सप्तम् किश्त	19 माह	10.0 %

16. स्ववित्त पोषित आवासीय योजना में सामान्यतः फलैटों का आवंटन आवेदकों के द्वारा आरक्षण राशि की समस्त किश्तें जमा होने पर ही किया जाता है, किन्तु उक्त योजना में फलैटों का निर्माण प्रगति के दृष्टिगत आरक्षण राशि की प्रथम अथवा द्वितीय किश्त जमा होने के पश्चात् भी फलैटों का आवंटन करने को मण्डल स्वतंत्र होगा।
17. इस योजना के अन्तर्गत फलैटों का निर्माण कार्य "डिपोजिट कार्य" की तरह से होगा। अतः आवेदकों द्वारा जमा कराई गई राशि पर आरक्षण पत्र जारी होने के पश्चात् मण्डल द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- (अ) आवेदकों को तालिका-4 के अनुसार जारी किये जाने वाले आरक्षण पत्रानुसार निर्धारित तिथि तक वांछित किश्तों की राशि जमा करानी होगी। विलम्ब से जमा की जाने वाली किश्त की राशि पर आवेदक द्वारा 6 माह तक 18 प्रतिशत वार्षिक दर से शास्ती/ब्याज देना होगा। इसके पश्चात् आवेदक का आरक्षण/आवंटन स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- (ब) तालिका-4 के अनुसार जारी आरक्षण पत्र में वांछित किश्तें आवेदक द्वारा जमा नहीं कराने पर आवेदक का वर्तमान में कराये गये स्ववित्त पोषित योजना का पंजीकरण/आरक्षण निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आवेदक के उल्लेखित पूर्व मूल पंजीकरण को भी निरस्त कर दिया जायेगा।
18. इस स्ववित्त पोषित योजना में पंजीकरण कराने वाले पूर्व पंजीकृत आवेदकों को उनकी पूर्व पंजीकरण राशि पर, पंजीकरण कराने की तिथि से आरक्षण पत्र जारी होने की तिथि तक नियमानुसार ब्याज देय होगा। पूर्व पंजीकृत आवेदक की पूर्व में जमा राशि का समायोजन (बिना ब्याज) देय प्रथम किश्त में किया जायेगा तथा शेष राशि बिन्दु संख्या 15 के अनुसार आरक्षण पत्र में उल्लेखित तिथि तक जमा करानी होगी। जमा राशि पर ब्याज का समायोजन आवंटन पत्र में किया जायेगा।

19. प्रस्तावित योजना किन्हीं अपरिहार्य कारणों से मूर्तरूप नहीं ले पाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदकों को उनकी स्ववित्त पोषित योजना की जमा पंजीकरण राशि 6 प्रतिशत सामान्य ब्याज सहित लौटा दी जायेगी।

20. **रिफण्ड**

- (i) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात तथा वरीयता लॉटरी के आयोजन से पूर्व यदि कोई आवेदक योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से कोई कटौती नहीं करते हुए पंजीकरण राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
- (ii) योजना की वरीयता लॉटरी के आयोजन के पश्चात तथा आरक्षण पत्र जारी करने से पूर्व यदि कोई आवेदक इस योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से 5 प्रतिशत की कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
- (iii) आरक्षण पत्र जारी होने के पश्चात यदि कोई आवेदक इस योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से 20 प्रतिशत कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
- (iv) इस योजना का आरक्षण पत्र जारी होने के पश्चात यदि आवेदक आरक्षण राशि की किश्तें देय होने के बाद जमा राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उस तिथि तक देय राशि (पंजीकरण+आरक्षण राशि) में से 20 प्रतिशत की कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी। उदाहरण के लिए यदि आवेदक द्वितीय आरक्षण राशि देय होने के पश्चात जमा राशि लौटाने का निवेदन करता है तो पंजीकरण राशि, प्रथम आरक्षण राशि तथा द्वितीय आरक्षण राशि की कुल राशि में से 20 प्रतिशत कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी। आवेदक द्वारा आरक्षण राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में भी कटौती की गणना हेतु देय आरक्षण राशि को सम्मिलित करते हुए ही कटौती की जायेगी।
- (v) यदि स्ववित्त पोषित योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन करने वाला आवेदनकर्ता पूर्व पंजीकृत है तो ऐसी स्थिति में बिन्दु संख्या (i), (ii), (iii) एवं (iv) के अनुसार कटौती की जावेगी तथा आवेदनकर्ता का पूर्व पंजीकरण भी निरस्त कर दिया जावेगा।
- (vi) उपरोक्त प्रावधानों में किसी भी अवस्था में अधिकतम कटौती स्ववित्त पोषित योजना की पंजीकरण राशि तक ही समिति होगी।

21. आरक्षण पत्र के अनुसार प्रथम अथवा द्वितीय किस्त की राशि जमा कराने वाले आवेदकों को देख-रेख योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य की प्रगति के दौरान ही फ्लैटों का आवंटन कर दिया जायेगा, जिससे आवेदक अपने फ्लैट के निर्माण का निरीक्षण स्वयं भी कर सके।
22. फ्लैट आवंटन लॉटरी के कार्यक्रम की घोषणा समाचार पत्रों के माध्यम से की जायेगी। इसमें आवेदक द्वारा आरक्षण राशि की देय किश्तें जमा करवाकर चालान की प्रतियां कार्यक्रम की निर्धारित अवधि में कार्यालय में प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को वरीयता क्रमानुसार आवंटन लॉटरी में सम्मिलित किया जायेगा।
23. मण्डल निर्मित फ्लैटों की वास्तविक लागत कार्य पूर्ण होने के पश्चात निश्चित करने हेतु पूर्णतः स्वतंत्र है एवं इस संबंध में मण्डल का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
24. आवंटन लॉटरी में आवेदक को फ्लैट के नम्बर आवंटित हो जाने के पश्चात् फ्लैट का आवंटन पत्र जारी किया जायेगा, जिसमें फ्लैट की शेष बकाया मांग राशि एवं जमा कराने की समयावधि का उल्लेख किया जाकर आवेदक को सूचित किया जावेगा। निर्धारित अवधि में फ्लैट की मांग राशि जमा नहीं कराने पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए मण्डल द्वारा फ्लैट का आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा तथा आवेदक का पंजीकरण भी निरस्त किया जाकर मण्डल प्रावधानों के अनुरूप कटौती करते हुये आवेदक की जमा, शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
25. मण्डल के वर्तमान प्रावधानों के अनुरूप फ्लैट के आवंटन पत्र में वर्णित विविध खर्चे देय होंगे जिनका मकान के लागत (विक्रय मूल्य) में समावेश नहीं किया गया है। ऐसे खर्चे निम्न प्रकार के होंगे:-
 - (क) **लीज राशि** : यह राशि भूमि की कुल कीमत पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से वसूलनीय होगी।
 - (ख) **अन्य खर्चे** :
 - (i) निर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक अतिरिक्त भूमि व कॉर्नर फ्लैटों के लिए नियमानुसार अतिरिक्त राशि वसूल की जायेगी।
 - (ii) अन्य विविध खर्चे जो कि मण्डल समय-समय पर निर्धारित करें।
26. मंडल के फ्लैट केवल रिहायशी प्रयोजन हेतु उपयोग में लिये जावेंगे। फ्लैट में आवंटी किसी प्रकार का वाणिज्यिक निर्माण नहीं करा सकेगा और न ही वाणिज्यिक उपयोग करेगा। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर फ्लैट का आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।

27. सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम संख्या 17 व 18 में अभिकथित संबंधित विभागों द्वारा मांग किये जाने पर आवंटी को संपत्ति पर समस्त करों का भुगतान करना होगा जैसे आवास सम्पत्ति कर, नगर निगम कर, विकास कर इत्यादि। इसके अतिरिक्त योजना के निवासियों की पंजीकृत सोसायटी द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों की पालना करनी होगी, साथ ही सोसायटी द्वारा निर्धारित सदस्यता शुल्क व अन्य शुल्क आवंटी को वहन करने होंगे।
28. यदि आवेदक, शपथ पत्र/आवेदन पत्र में कोई गलत सूचना देता है या कोई तथ्य छिपाता है तो उसका पंजीकरण तुरन्त रद्द कर दिया जावेगा। यदि फ्लैट का आवंटन हो गया हो तो भी मंडल ऐसे आवंटन को रद्द करने तथा फ्लैट का कब्जा वापस लेने के लिए सक्षम होगा। आवेदक की जमा राशियों में से नियमानुसार कटौती करते हुए शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।
29. किसी नुकसान के होने से या वस्तुओं के चोरी चले जाने से बचने की दृष्टि से, निम्नांकित फिटिंग/फिक्सचर आदि का कार्य आवासन मंडल द्वारा आवंटी को कब्जा देने की वास्तविक तारीख से एक माह के भीतर पूर्ण कर दिया जायेगा:-
 1. विद्युत/फिटिंग/फिक्सचर
 2. सेनेटरी फिटिंग
 3. अंतिम पुताई यदि कब्जा देने से पूर्व नहीं की गई हो।
30. मंडल अपनी योजनाओं/फ्लैटों में परिवर्तन/परिवर्द्धन कर सकता है व परिणामस्वरूप यदि कोई अतिरिक्त कार्य करवाया जाता है तो ऐसा व्यय आवंटी को वहन करना होगा। विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होने पर मण्डल योजना में प्रस्तावित सेक्टरों के स्थान पर अन्य सेक्टरों में फ्लैट उपलब्ध कराने का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा, तथा इस विषय में आवंटी का कोई विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।
31. योजना को पूर्ण एवं आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा।
32. पंजीकरण/आरक्षण/आवंटन मण्डल द्वारा बनाये गये नियमों/आदेशों/उप-बन्धों/परिपत्रों के तहत होगा। मंडल अपने द्वारा बनाये गये नियमों, आदेशों तथा परिपत्रों को बनाने/परिवर्तन करने के लिए पूर्णतः सक्षम होगा और ये पंजीकृत आवेदकों के लिए पूर्णतया लागू होंगे।
33. सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम 19 के अनुसार-यह स्पष्ट किया जाता है कि आवंटी को स्वयं सम्पत्ति की परिस्थितियों से पूर्णतः परिचित होना चाहिये और बाद में किसी आगामी Stage पर सम्पत्ति की परिस्थितियों के

संबंध में शिकायत करने, आपत्ति उठाने या मांग करने का अधिकार नहीं होगा।

34. पंजीकरण की राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक द्वारा जमा की जायेगी। बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक का पूर्ण विवरण अर्थात् संख्या, दिनांक तथा संबंधित बैंक जिससे बैंकर चैक/ड्राफ्ट प्राप्त किया गया है, चालान में निर्धारित स्थान पर अंकित किया जावे। बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक "राजस्थान आवासन मण्डल" के पक्ष में देय होना आवश्यक है। आवेदन-पत्र, संलग्न चालान, बैंक ड्राफ्ट तथा वांछित दस्तावेजों सहित डाक या स्वयं के द्वारा उप आवासन आयुक्त, वृत्त-तृतीय, जयपुर के पते पर या निर्धारित बैंकों में निर्धारित दिनांक तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् पंजीकरण आवेदन फार्म स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 35.(अ) आवेदक अपने पत्राचार के पते में परिवर्तन की सूचना उप आवासन आयुक्त, वृत्त-तृतीय, जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल जयपुर कार्यालय के पते पर दें। पते में परिवर्तन की सूचना नहीं देने के कारण अथवा आवेदक की गलती से पत्र आवेदक को प्राप्त नहीं होने की दशा में मंडल द्वारा कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी। पता परिवर्तन कराते समय वांछित दस्तावेजों की छायाप्रतियों के साथ पूर्ण वरीयता क्रमांक अवश्य लिखें। आवासन मण्डल द्वारा पता परिवर्तन की स्वीकारोक्ति के पश्चात ही पता परिवर्तन मान्य होगा। अतः आवेदक को परामर्श है कि इस संबंध में आवासन मण्डल से सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यालय से पता परिवर्तन किए जाने की जानकारी प्राप्त कर लें।
- (ब) आवेदक द्वारा ऐसे स्थान जहां सामान्यजन का प्रवेश वर्जित हो, का पता अंकित करने की स्थिति में मण्डल द्वारा जारी पत्राचार प्राप्ति में होने वाले विलम्ब अथवा पत्राचार प्राप्त नहीं होने के लिए मण्डल उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आवेदकों को परामर्श है कि वह समय-समय पर मण्डल के संबंधित कार्यालय के सम्पर्क करते रहें तथा समाचार पत्रों व मण्डल की वेबसाइट www.rhbonline.com के द्वारा भी जानकारी प्राप्त कर लें।
36. **वित्तीय सुविधायें** : आवासन मण्डल से मकान लेने वाले आवेदक/आवंटी वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले सकते हैं। इस बाबत मण्डल द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र/त्रिपक्षीय अनुबंध पत्र जारी किए जाएंगे।
37. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ स्वयं एवं निवास के पते का प्रमाण यथा-पेन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, राशन कार्ड, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, बैंक पास बुक अथवा अन्य कोई मान्य फोटो युक्त दस्तावेज में से (वांछित दस्तावेजों की) एक-एक स्व-हस्ताक्षरित/सत्यापित प्रति संलग्न करना होगा।

38. आवेदन पत्र के कॉलम संख्या 8 में आवेदक द्वारा केवल पत्र व्यवहार का पता अंकित किया जाए तथा आवेदन पत्र पर केवल उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए, जो इस योजना के अन्तर्गत आवास/प्लैट लेना चाहता है।
39. आवेदन पत्र में किसी विवरण को हटाने, मिटाने या उसके ऊपर काटकर दुबारा लिखना निषेधित है। अतः आवेदन कर्ताओं को परामर्श है कि आवेदन पत्र को भरते वक्त पूर्ण सावधानी बरतें तथा उपरोक्त स्थित में आवेदक स्वयं पूर्ण हस्ताक्षर करें।
40. मण्डल द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार करते समय समस्त आवेदकों की पात्रता की जांच किया जाना सम्भव नहीं है। अतः मिथ्या कथन, तथ्यों को छुपाने अथवा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर कालान्तर में यदि आवेदक पंजीकरण हेतु अपात्र पाया जाता है, तो उस आवेदक का पंजीकरण आवेदन/आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताओं नोटिस जारी किये निरस्त कर दी जावेगी तथा मण्डल के प्रचलित नियमों अनुसार कटौती करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी।
41. मण्डल द्वारा समय समय पर मांगे गये शपथ पत्र/वचनबद्धता/अन्य आवेदन/अन्य प्रपत्र इत्यादि स्व हस्ताक्षरित हो एवं आवेदक द्वारा उन पर अपना नवीनतम फोटो चस्पा करते हुए उन्हें नियमानुसार राजपत्रित अधिकारी/नोटरी पब्लिक से सत्यापित कर प्रस्तुत करना होगा।

महत्वपूर्ण बिन्दु :-

- i. इस योजना में आवेदन करने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक हो तथा आवेदन के समय आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम न हो।
दो आरक्षित वर्गों के लिए योग्यता रखने वाले आवेदकों को किसी भी एक आरक्षित वर्ग के अन्तर्गत पंजीकरण कराने का आवेदन पत्र में उल्लेख करना अनिवार्य होगा तथा पंजीकरण राशि उसी के अनुरूप जमा करानी होगी।
- ii. आवेदन-पत्र में आवेदक ने आय के स्वरूप वाले कॉलम में वैतनिक अथवा अवैतनिक का उल्लेख नहीं किया तो वेतन प्रमाण-पत्र के अभाव में आवेदक को अवैतनिक श्रेणी में माना जावेगा।
- iii. अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के आवेदकों को आरक्षित श्रेणी तथा पंजीकरण राशि में छूट का लाभ लेने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- iv. "आरक्षित श्रेणियों अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से विकलांग/युद्ध में शहीद हुए सैनिक की विधवाओं/भूतपूर्व सैनिक/विधायक/सांसद/अधिस्वीकृत पत्रकार/स्वतंत्रता सैनानी/शौर्य पुरस्कार प्राप्त सैनिक/ऐशियाड/औलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी आदि के द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति के साथ शपथ-पत्र नवीनतम फोटो के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- v. आवेदन पत्र में उत्तराधिकारी का मनोनयन पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहिन, पुत्र/पुत्री, पौत्र/पौत्री एवं पुत्रवधु में से ही किया जा सकेगा।
- vi. लाटरी से जो भी फ्लैट आवंटित होगा उसे परिवर्तित नहीं किया जायेगा।
- vii. इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदक अन्य योजना व शहर में स्थानान्तरण नहीं करवा सकेंगे।
- viii. फ्लैट आवंटन/कब्जे के बाद फ्लैट का रख-रखाव स्वयं आवंटी द्वारा किया जायेगा।
- ix. योजना के तहत कोई भी न्यायिक विवाद जयपुर शहर की सीमा के अन्तर्गत ही होंगे।
- x. योजना में एक व्यक्ति का स्वतंत्र अथवा संयुक्त रूप से केवल एक ही आवेदन पत्र स्वीकार्य होगा।
- xi. आवासन मण्डल की योजना में राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निष्पादन विनियम 1970 के प्रावधान मान्य होंगे।
- xii. आवेदन पत्र पुस्तिका (Booklet) राजस्थान आवासन मण्डल के निम्नलिखित कार्यालय से रुपये 200/- नकद देकर व्यक्तिशः अथवा रुपये 250/- का बैंक ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर, जो कि राजस्थान आवासन मण्डल (Rajasthan Housing Board) के पक्ष में जयपुर स्थित किसी भी बैंक में देय हो, भेजकर डाक से प्राप्त किया जा सकता है।

शहर का नाम	कार्यालय का नाम, पता एवं दूरभाष नम्बर
जयपुर	कार्यालय उप आवासन आयुक्त राज. आवा. मण्डल, वृत्त- तृतीय जवाहर सर्किल, जयपुर फोन नं. 0141-2723844

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नांकित बैंक कार्यालयां से भी आवेदन पत्र पुस्तिका नकद भुगतान कर प्राप्त की जाकर पूर्ण करने के पश्चात् आवश्यक दस्तावेजों सहित जमा कराई जा सकती है:-

1. सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, राज. आवा. मण्डल, ज्योति नगर, जयपुर
फोन नं. 0141-2744735
2. एक्सिस बैंक, गिरधर मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर। फोन नं. 0141-4013690
3. आई.सी.आई.सी.आई बैंक, जनता कॉलोनी, जयपुर। फोन नं. 0141-4182401
4. यदि आवेदन फार्म मण्डल की **website - www.rhbonline.com** से download करके प्रस्तुत किया जाता है। तो पंजीकरण राशि के साथ फार्म की कीमत के 200/- पंजीकरण राशि की DD/Pay Order में शामिल कर आवेदन पत्र के साथ जमा करवानी होगी।

सभी आवेदकों के लिए

शपथ-पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
आयु.....वर्ष, जाति..... निवासी
.....एतद्वारा सशपथ घोषणा करता/करती हूँ कि:-

1. मैं भारत का/की नागरिक हूँ।
2. मेरे स्वयं अथवा मेरी पत्नी/पति या मुझ पर आश्रित संबंधी के पास शहर में फ्री होल्ड अथवा लीज होल्ड किसी भी प्रकार का पूर्ण या आंशिक प्लेट/भूखण्ड नहीं है।
3. मेरे स्वयं अथवा मेरी पत्नी/पति या मुझ पर आश्रित संबंधी के पास पूर्व में राज्य के शहर में आवासन मण्डल से सामान्य/विशिष्ट/स्ववित्त पोषित पंजीकरण योजना, खुली बिक्री एवं नीलामी आदि द्वारा भूखण्ड/आवास संख्या योजना में आवंटित है/आवंटित था।
4. यह कि मेरा आवेदन स्वीकार होने पर मैं आवासन मण्डल द्वारा समय-समय पर मांग की गई राशियां जमा नहीं करता हूँ तो आवासन मण्डल बिना किसी सूचना के मेरा पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार रहूंगा।

हस्ताक्षर शपथ गृहिता

सत्यनिष्ठा

मैं पुत्र/पत्नी श्री
निवासी सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त पेरा 1 से 4 में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं, वे मेरी निजी जानकारी में पूर्णतया सत्य है, मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है।

शपथ गृहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

(शपथ पत्र 10/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटेरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी दण्डनायक/कार्यपालक दण्डनायक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)

**गैर वेतन भोगी आवेदकों के लिए
आय प्रमाण-पत्र हेतु शपथ-पत्र**

शपथ-पत्र

मैं पुत्र/पत्नी श्री
आयु..... जाति निवासी
..... (अनुसूचित जाति/जनजाति यदि है तो अंकित करें)
सशपथ बयान करता/करती हूँ:-

1. कि मेरे परिवार की वर्ष 20....- 20.... में वार्षिक आय समस्त स्रोतों से निम्न प्रकार थी:-
 - अ. स्वयं की आय, व्यापार, उद्योग, एजेन्सी, कृषि उद्योग दुकान या अन्य स्रोतों से रुपये थी।।
 - ब. मेरे पति/पत्नी, अवयस्क पुत्र/पुत्री/दत्तक पुत्र/दत्तक पुत्री की व्यापार, उद्योग, एजेन्सी दुकान अथवा कृषि उद्योग एवं अन्य स्रोतों से वार्षिक आय रुपये थी।
 - स. कि वित्तीय वर्ष 20.....-20..... में मेरे परिवार की कुल आमदनी रुपये थी।

**शपथ गृहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा**

सत्यनिष्ठा

मैं पुत्र/पुत्री श्री
जाति निवासी
सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त तथ्य मेरी जानकारी में है एवं सत्य हैं मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है।

**शपथ गृहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा**

(उपरोक्त शपथ-पत्र 10/- रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर आवेदक द्वारा नोटेरी पब्लिक/प्रथम श्रेणी दण्डनायक/कार्यपालक दण्डनायक अधिकारी अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।)

वेतन भोगी आवेदकों के लिए

आय प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....
पुत्र/पत्नी श्री इस विभाग/उपक्रम/कम्पनी/संस्था
(विभाग/संस्था का नाम) में.....
पद पर कार्यरत हैं एवं ये (केन्द्र/राजस्थान सरकार अथवा केन्द्र/राजस्थान सरकार
के उपक्रम/प्राइवेट सेक्टर के) नियमित कर्मचारी हैं। इनकी सकल मासिक आय
रुपये प्रतिमाह है।

विभागाध्यक्ष
के हस्ताक्षर मय मोहर
विभाग/उपक्रम/प्राइवेट सेक्टर का नाम

अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/.....
पुत्र/पत्नी श्री निवासी..... जिला
..... संभाग..... राज्य जाति के
सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति/जनजाति (सूची) संशोधन अधिनियम 1956 के
अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति में है।

हस्ताक्षर
तहसीलदार
(कार्यालय की मोहर सहित)

अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती
पुत्र/पत्नी श्री..... निवासी ग्राम.....
जिला अधिस्वीकृत पत्रकार है। इनका पत्र/पत्रिका (नाम)
..... नियमित रूप से प्रकाशित
होता/होती है।

हस्ताक्षर
सक्षम अधिकारी
सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय

भूतपूर्व सैनिकों के लिए / सैन्य विधवा प्रमाण पत्र

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती
पुत्र/पत्नी स्व. श्री..... निवासी.....
..... सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक है/युद्ध में शहीद सैनिक की
विधवा है/युद्ध में हताहत हुए विकलांग सैनिक है।

सचिव
राज्य/जिला सैनिक कल्याण बोर्ड

(यह प्रमाण पत्र केवल भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवा आवेदकों को संलग्न करना अनिवार्य है।)

स्वतंत्रता सेनानियों के लिए

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती
पुत्र/पत्नी श्री..... निवासी
जिला स्वतंत्रता सेनानी है। इन्हें वर्ष में राज्य सरकार
द्वारा ताम्र-पत्र/प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है।

हस्ताक्षर
जिलाधीश/उप सचिव/
सहायक सचिव
(सामान्य प्रशासन विभाग)
राजस्थान सरकार, जयपुर

शौर्य पदक प्राप्त सैनिकों के लिए

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती
पुत्र/पत्नी श्री..... निवासी
ने वर्ष में निम्नलिखित शौर्य पदक प्राप्त किये।

1.
2.
3.

सचिव
राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड

राजस्थान के विधायकों/सांसदों के लिए

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती

...

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... क्षेत्र
विधानसभा क्षेत्र/लोकसभा क्षेत्र/राज्यसभा से विधानसभा/लोकसभा/राज्यसभा के
सत्र के सदस्य हैं।

हस्ताक्षर
महासचिव/सचिव
लोकसभा/राज्यसभा/विधानसभा
सचिवालय

भूतपूर्व विधायकों/सांसदों के लिए

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... विधानसभा क्षेत्र/लोकसभा
क्षेत्र/राज्यसभा, जिला से सत्र में सदस्य रहे हैं
एवं भूतपूर्व विधायक/सांसद हैं।

हस्ताक्षर
महासचिव/सचिव
लोकसभा/राज्यसभा/विधानसभा
सचिवालय

सभी आवेदकों के लिए

शपथ-पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
आयु.....वर्ष, जाति..... निवासी
.....एतद्वारा सशपथ बयान करता/करती हूँ कि:-

1. यह कि मैंने पंजीकरण ' 'स्ववित्त पोषित योजना, वर्ष 2012 (द्वितीय)' ' सेक्टर-8, इंदिरा गांधी नगर, जगतपुरा, (जयपुर) में माध्यम आय वर्ग-‘ब’ (स्टील्ट+9) के फ्लैट आवंटन हेतु आवेदन-पत्र संख्या के द्वारा आवेदन किया है।
2. यह कि उक्त आवेदन-पत्र के तहत पंजीकरण होने के पश्चात् मण्डल द्वारा समय-समय पर फ्लैट से संबंधित मांग राशि यदि मेरे द्वारा निर्धारित अवधि में जमा नहीं करवायी जाती है तो मण्डल बिना सूचना दिये पंजीकरण / आवंटन निरस्त करने का अधिकारी होगा।
3. यह है कि मेरे स्वयं की गलती के कारण मण्डल द्वारा उक्त पंजीकरण/ आवंटन निरस्त किया जाता है तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।

हस्ताक्षर शपथ गृहिता

सत्यनिष्ठा

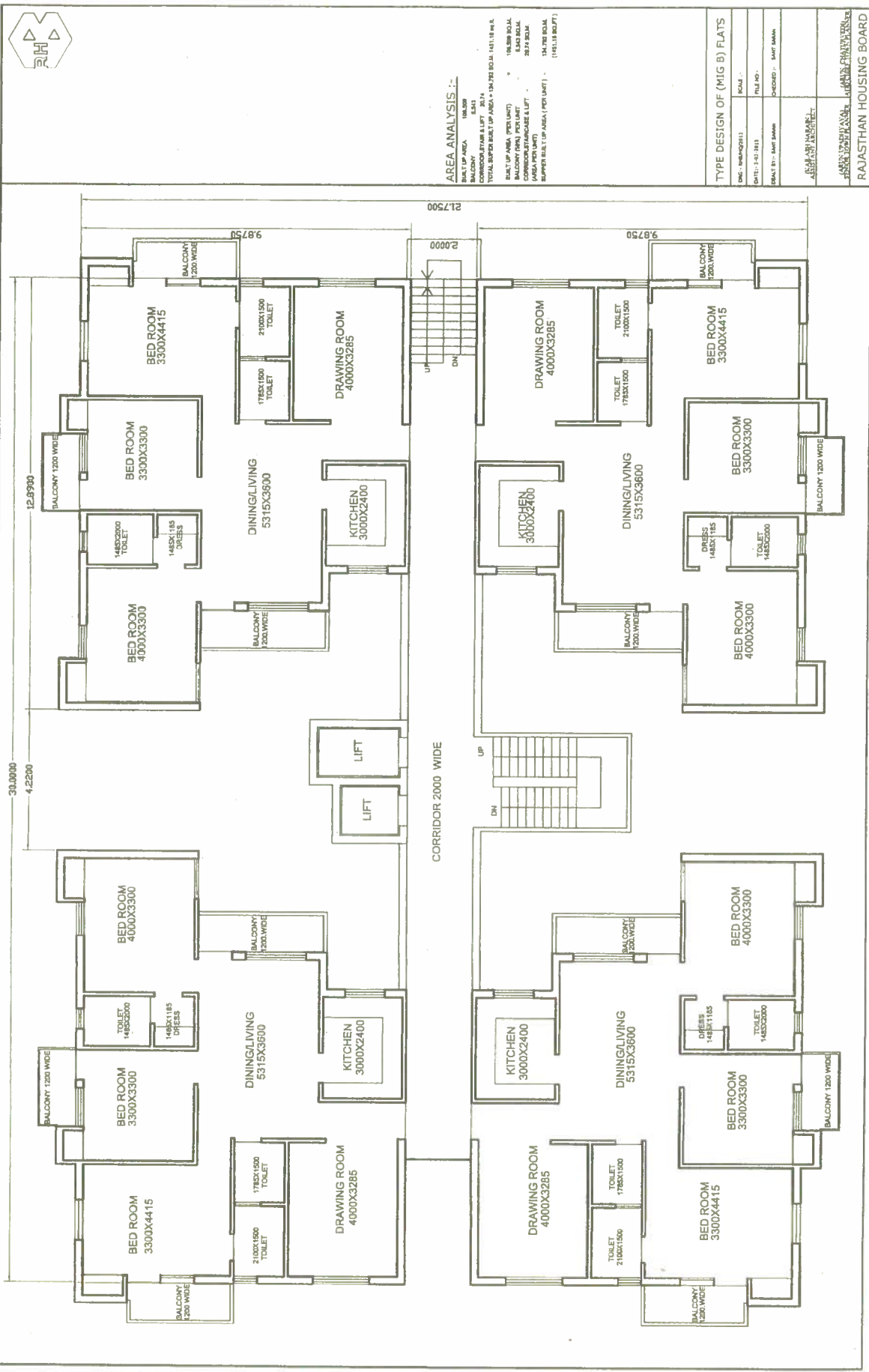
मैं पुत्र/पत्नी श्री
निवासी सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त पेरा 1 से 3 में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं, वे मेरी निजी जानकारी में पूर्णतया सत्य है, मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है।

शपथ गृहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

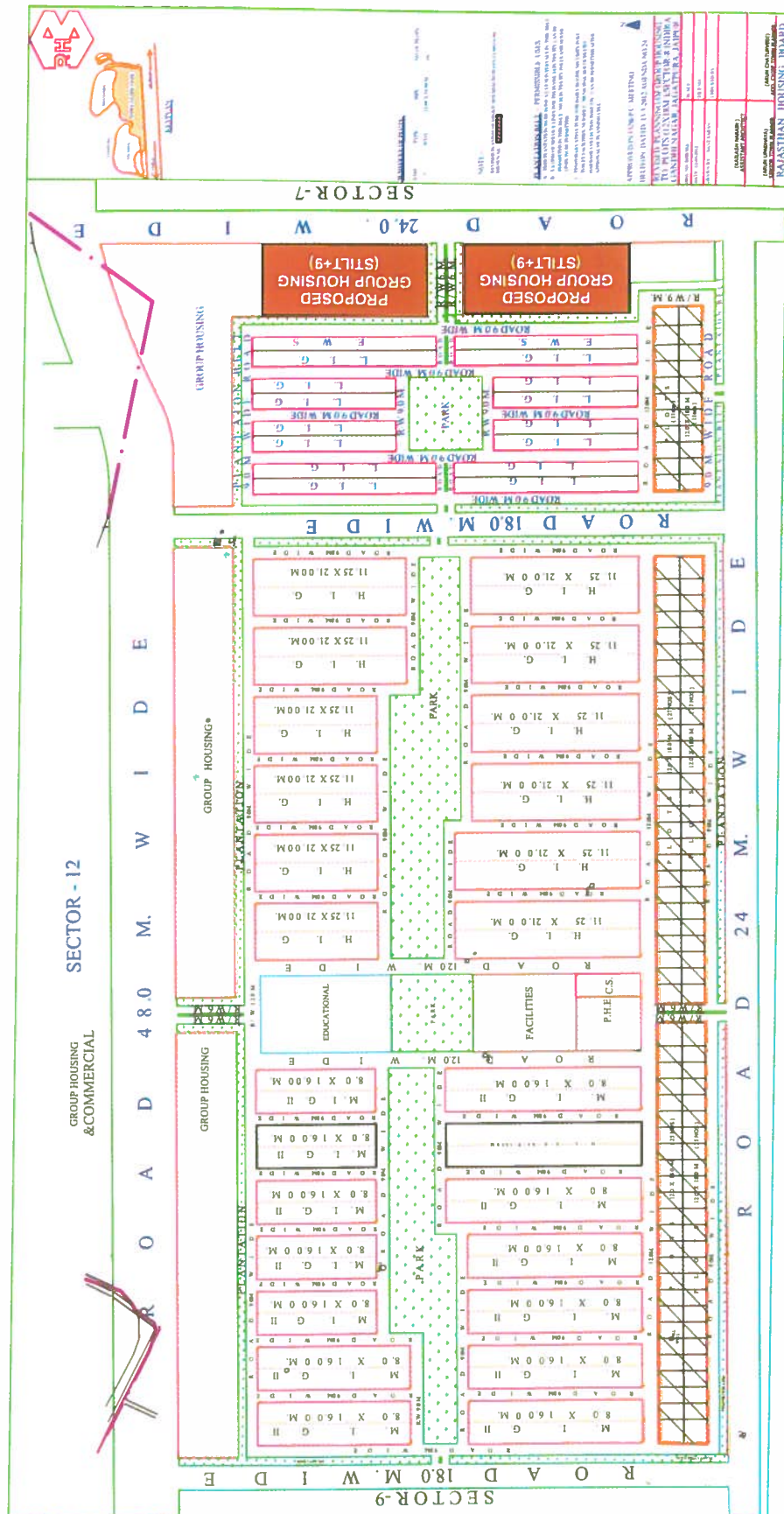
(शपथ पत्र 10/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटेरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी दण्डनायक/कार्यपालक दण्डनायक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)

GENERAL SPECIFICATIONS OF CONSTRUCTION

Foundation	: R.C.C. Raft Foundation.
Super Structure	: R.C.C. frame structure with Brick Masonry Plaster in Cement sand mortar.
Finishing	: • Flooring with mat finished tiles in rooms. • Interior distemper, paint and acrylic paint on Exterior walls. • POP finish with cornice. • Black Granite Kitchen Table Top.
Steel Work	: Windows and Door Frames of pressed steel Sections.
Joinery Work	: Solid core flush door shutters.
Sanitary	: GI Pipe for Water Supply and PVC pipe for sanitary work.
Electric	: PVC conduit and copper wiring with modular type switches.



Layout Plan





राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

कार्यालय : उप-आवासन आयुक्त, वृत्त-तृतीय,
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल जयपुर

“स्ववित्त पोषित योजना, वर्ष 2012 (द्वितीय)”

सेक्टर-8, इंदिरा गांधी नगर, जगतपुरा, (जयपुर) में
मध्यम आय वर्ग-‘ब’ (स्टील्ट+9) के फ्लैटों हेतु

(पूर्व पंजीकृत आवेदकों के साथ नये आवेदकों हेतु)

मूल्य : 200/- रु.

आवेदक / आवेदिका
का नवीनतम
फोटो

राजपत्रित / नोटेरी पब्लिक
द्वारा प्रमाणित

298

क्रमांक

आवेदन-पत्र

1.	आवेदक/आवेदिका का नाम (आवेदक स्वयं का नाम स्पष्ट अंकित करें इसमें किसी प्रकार की काटछांट नहीं करें)	श्री/श्रीमती
2.	पिता/पति का नाम (आवेदक कॉलम की पूर्ति हेतु किसी प्रकार की काटछांट नहीं करें)	श्री
3.	जन्म तिथि	
4.	राष्ट्रियता	
5.	स्वयं की पहचान हेतु वांछित दस्तावेज (सत्यापित छाया प्रति संलग्न करें)	पैन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ ड्राइविंग लाइसेन्स/ बिजली/पानी/टेलीफोन बिल / अन्य फोटोयुक्त मान्य दस्तावेज
6.	भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र (यू.आई.डी.) नम्बर (यदि हो तो)	
7.	व्यवसाय का स्वरूप इंगित करें (✓) (आवेदक कॉलम की पूर्ति हेतु किसी प्रकार की काटछांट नहीं करें)	वैतनिक ☐ अवैतनिक ☐
8.	आवेदक का पता (दस्तावेज संलग्न करें) (मण्डल द्वारा इसी पते पर पत्र व्यवहार किया जायेगा)	दूरभाष मोबाईल ई-मेल
9.	आवेदक/आवेदकों की कुल वार्षिक आय (रु. में) (वित्तीय वर्ष 20..... - 20.....) पैन नम्बर, (लागू हो तो) (आवेदक कॉलम की पूर्ति हेतु किसी प्रकार की काटछांट नहीं करें)	
	(अ) स्वयं की	
	(ब) पत्नी/पति की आय	
	(स) आश्रितों की आय	
	कुल वार्षिक आय : (अ+ब+स)	
10.	यदि आवेदक पूर्व पंजीकृत है तो पंजीकरण प्रपत्रों की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करें	
	(क) आय वर्ग जिसमें पंजीकरण हुआ है	
	(ख) पंजीकरण का वर्ष	
	(ग) वरीयता क्रमांक :	



राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

कार्यालय : उप-आवासन आयुक्त, वृत्त-तृतीय, जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल जयपुर

298

“स्ववित्त पोषित योजना, वर्ष 2012 (द्वितीय)”

आवेदन क्रमांक:

सेक्टर-8, इंदिरा गांधी नगर, जगतपुरा, (जयपुर) में मध्यम आय वर्ग-‘ब’ (स्टील्ट+9) के फ्लैटों हेतु
(पूर्व पंजीकृत आवेदकों के साथ नये आवेदकों हेतु)

आवेदन पत्र प्राप्ति रसीद

आय वर्ग जिस हेतु आवेदन किया जा रहा है:

श्री से इन्दिरा गांधी नगर, जयपुर हेतु

के अन्तर्गत ऊपर वर्णित क्रमांक का आवेदन पत्र का प्राप्त किया ।

मय बैंक ड्राफ्ट संख्या दिनांक बैंक का नाम

शाखा

(नोट: उपरोक्त समस्त पूर्तियाँ आवेदक स्वयं करें।)

हस्ताक्षर प्राप्त कर्ता

आवेदित पंजीकरण का विवरण																	
11.	आवेदित पंजीकरण हेतु जमा राशि रु.																
12.	बैंक ड्राफ्ट स. दिनांक रु. बैंक का नाम																
13.	आवेदक का बैंक खाता विवरण : खाता संख्या बचत ☐ चालू ☐ अप्रवासी ☐ बैंक का नाम शाखा IFSC Code																
14.	निम्नांकित तालिका में अपना वर्ग (श्रेणी) इंगित (✓) करें (प्रमाण-पत्र संलग्न करें)																
	जी-1: वैतनिक श्रेणी : प्रथम- (केन्द्र सरकार के कर्मचारी तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के बोर्ड/निगम के कर्मचारी/प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत कर्मचारी) द्वितीय- (राज्य सरकार के कर्मचारी, अधिकारी)																
	जी-2: सामान्य श्रेणी : प्रोफेशनल श्रेणी (एडवोकेट, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एवं प्राईवेट डॉक्टर)																
	जी-3: मण्डल कार्मिक (बोर्ड कर्मचारी)																
	जी-4: अनु जाति																
	जी-5: अनु. जनजाति																
	जी-6: वर्तमान एवं भूतपूर्व विधायक/ सांसद/ अधिस्वीकृत पत्रकार																
	जी-7: स्वतंत्रता सैनानी																
	जी-8: भूतपूर्व सैनिक एवं सैनिकों की विधवाएँ																
	जी-9: विकलांग (अन्धता, शारीरिक व मूक बधिर)																
	जी-10: वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिक/ऐशियाड/ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी																
15.	संलग्नक : 1. स्वयं की पहचान का फोटोयुक्त दस्तावेज 2. पैन नम्बर (लागू हो तो) और भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र नम्बर (यदि हो तो) 3. पते का प्रमाण पत्र 4. आय का प्रमाण पत्र 5. पूर्व पंजीकरण से संबंधित प्रमाण प्रपत्र (यदि कोई हो) 6. पंजीकरण राशि का बैंक ड्राफ्ट 7. श्रेणी विशेष का प्रमाण पत्र 8. अन्य वांछित प्रमाण-पत्र/शपथ पत्र। 9. स्वयं अथवा पति-पत्नी अथवा आश्रितों के नाम कोई भूमि/भवन न होने संबंधी शपथ पत्र।																
	1. मैं इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान में सही है और कुछ भी छुपाया नहीं गया है। 2. मैं इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने इस आवेदन प्रपत्र के साथ किये गये पंजीकरण के अनुबन्धों एवं शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया तथा समझ लिया है और मैं उनका पालन किये जाने के लिए सहमत हूँ। 3. मेरा या मेरे आश्रितों का आवेदित शहर क्षेत्र, जिसमें पंजीकरण के लिए आवेदन कर रहा/रही हूँ, मैं पूर्णतया अथवा भाग रूप में, फ्री होल्ड या पट्टे के आधार पर भूखण्ड या प्लॉट नहीं है। 4. मेरा या मेरे आश्रितों को आवेदित शहर में किसी भी पद्धति यथा सामान्य/विशिष्ट/स्ववित्त पोषित पंजीकरण योजना, खुली बिक्री अथवा नीलामी द्वारा पूर्व में मण्डल से किसी भी श्रेणी/माप का प्लॉट आरक्षित/आवृत्त नहीं है। 5. मेरा आवेदन स्वीकार होने पर मैं आवासन मण्डल द्वारा समय-समय पर मांग की गई राशियां जमा नहीं कराता हूँ तो आवासन मण्डल बिना किसी सूचना के मेरा पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार रहूंगा। 6. मेरी मृत्यु होने की दशा में, मैं निम्नलिखित व्यक्तियों को अधिमानक्रम में नाम निर्देशित करता/करती हूँ:-																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.स.</th> <th>नाम</th> <th>आयु</th> <th>सम्बन्ध</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>प्रथम</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>द्वितीय</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>तृतीय</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	क्र.स.	नाम	आयु	सम्बन्ध	प्रथम				द्वितीय				तृतीय			
क्र.स.	नाम	आयु	सम्बन्ध														
प्रथम																	
द्वितीय																	
तृतीय																	

सत्यापित

(नोटरी पब्लिक/राजपत्रित अधिकारी)

मुहर के साथ

हस्ताक्षर आवेदक/आवेदिका

नाम

स्थान

दिनांक :

चालान

राजरथान आवासन मण्डल

298

कार्यालय : उप-आवासन आयुक्त, वृत्त-तृतीय, जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल जयपुर

“स्ववित्त पोषित योजना, वर्ष 2012 (द्वितीय)”

सेक्टर-8, इंदिरा गांधी नगर, जगतपुरा, (जयपुर) में
मध्यम आय वर्ग-‘ब’ (स्टील्ट+9) के फ्लैटों हेतु
(पूर्व पंजीकृत आवेदकों के साथ नये आवेदकों हेतु)

(आवेदक द्वारा भरा जावे)

1. सेक्टर/कॉलोनी का नाम : सेक्टर-8, इंदिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर
2. योजना का नाम : “स्ववित्त पोषित योजना, वर्ष 2012 (द्वितीय)”
मध्यम आय वर्ग-‘ब’ (स्टील्ट+9) के फ्लैटों हेतु
3. आवेदक/ आवेदिका का नाम :
4. पत्र व्यवहार का पता :
.....
5. बैंक डी.डी. नम्बर, बैंकर चैक व :
पे-ऑर्डर नम्बर
दिनांक
6. पंजीकरण राशि (अंकों में) : रुपये
(शब्दों में) : रुपये

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक

स्थान

आवेदक द्वारा भरा जावे

राजरस्थान आवासन मण्डल

आवेदन पत्र परीक्षण सूची

“स्ववित्त पोषित योजना, वर्ष 2012 (द्वितीय)”

298

सेक्टर-8, इंदिरा गांधी नगर, जगतपुरा, (जयपुर) में
मध्यम आय वर्ग-‘ब’ (स्टील्ट+9) के फ्लैटों हेतु
(पूर्व पंजीकृत आवेदकों के साथ नये आवेदकों हेतु)

क्र. सं.	आवेदन पत्र पूर्ण करने के पश्चात् आवेदक द्वारा चैक किए जाने वाले बिन्दु	आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् कार्यालय द्वारा चैक किए गए बिन्दु
1	क्या आवेदक का नाम / पिता का नाम अंकित है?	हाँ/नहीं
2	क्या आवेदक द्वारा अपना हाल ही में खिंचवाया गया फोटो यथास्थान चिपकाया है?	हाँ/नहीं
3	क्या आवेदक के फोटो पहचान-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न है (आवेदन पत्र में दिए विवरणानुसार)	हाँ/नहीं
4	क्या आवेदक के पते के प्रमाण-स्वरूप दस्तावेज संलग्न है (आवेदन पत्र में दिए विवरणानुसार)?	हाँ/नहीं
5	क्या आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के विवरणानुसार पेनकार्ड की प्रति संलग्न की है?	हाँ/नहीं
6	क्या आय वर्ग आवेदक की आय के अनुसार सही दर्शाया गया है?	हाँ/नहीं
7	क्या आय वर्ग प्रमाण-पत्र संलग्न किया है?	हाँ/नहीं
8	क्या आवेदक आरक्षित आय वर्ग में आता है?	हाँ/नहीं
9	क्या आरक्षित वर्ग के लिए प्रमाण-पत्र संलग्न है?	हाँ/नहीं
10	क्या पंजीकरण राशि जमा है?	हाँ/नहीं
11	क्या पंजीकरण राशि आय वर्ग के अनुसार सही है?	हाँ/नहीं
12	क्या वांछित राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न है?	हाँ/नहीं

हस्ताक्षर आवेदक

कार्यालय उपयोग हेतु

1. आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया एवं आवेदक द्वारा उपरोक्तानुसार विवरण सही पाया गया।
2. आवेदक द्वारा चाही गई भुगतान पद्धति - किराया कय पद्धति / नकद भुगतान पद्धति।
3. आवेदक का ग्रुप है - जी-1/जी-2/ जी-3/ जी-4/ जी-5/ जी-6/ जी-7/ जी-8
4. आवेदक द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार आवेदन पत्र योग्य / अयोग्य पाया गया।
5. अन्य टिप्पणी

का.सहायक/ सहायक

कार्यालय अधीक्षक

स.आवासन अधिकारी/ सम्पदा प्रबन्धक

आवेदक द्वारा भरा जावे

राजस्थान आवासन मण्डल

298

पंजीकरण हेतु परीक्षण सूची

1.	क्रमांक नं./ लोट नम्बर		
2.	आवेदन पत्र क्रमांक		
3.	आवेदक का नाम		
4.	आवेदक के पिता/ पति का नाम		
5.	जन्म तिथि		
6.	आवेदक की पहचान का प्रमाण	पेनकार्ड नम्बर	
		पासपोर्ट नम्बर	
		ड्राइविंग लाईसेन्स नम्बर	
		वोटर आईडी कार्ड नम्बर	
7.	स्थायी पत्र व्यवहार का पता		
	दूरभाष नं. व मोबाइल नम्बर		
8.	अस्थायी पत्र व्यवहार का पता		
9.	आय का विवरण	स्वयं की आय	
		पत्नी / पति की आय	
		आश्रित की आय	
		कुल आय	
10.	आवेदक यदि पूर्व में पंजीकृत है तो उसका विवरण।	पंजीकरण वर्ष	
		श्रेणी वं भुगतान पद्धति	
		वरीयता क्रमांक	
11.	श्रेणी	आर्थिक दृष्टि से कमजोर/ अल्प आय वर्ग/ मध्यम आय वर्ग-अ/ मध्यम आय वर्ग-ब/ उच्च आय वर्ग	
12.	भुगतान पद्धति	नकद/ मासिक किस्तों में / स्ववित्त पोषित।	
13.	वर्ग (G-1 G-11)		
14.	स्थायी बैंक खाता संख्या एवं बैंक का नाम, जहाँ पर पंजीकरण राशि असफल होने की स्थिति में वापिस लौटाई जा सके।		
15.	पंजीकरण राशि	रु.	
16.	बैंक ड्राफ्ट जारी करने वाले बैंक का नाम		
17.	उत्तराधिकारी का नाम व विवरण		

हस्ताक्षर



राजस्थान आवासन मण्डल



“आवास भवन”, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर, फोन: 0141-2740812, 2740113, 2740614
E-mail: rhbjpr@dataone.in Website: www.rhbonline.rajasthan.gov.in

मूल्य 200/- रुपये